



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 370 राँची, शुक्रवार,

25 जुलाई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

9 जून, 2025

संख्या-5/आरोप-1-18/2022-30973 (HRMS)--श्री बिरेन्द्र किण्डो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-455/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4488, दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1512, दिनांक 16.12.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप पत्र में श्री किण्डो के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर आवास योजना के क्रियान्वयन में अभिरुचि नहीं लेने, लापरवाही बरतने तथा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने संबंधी कुल-5 आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-343, दिनांक 16.01.2023 द्वारा श्री किण्डो से स्पष्टीकरण की माँग की गई, परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-21788(HRMS), दिनांक 21.06.2023 द्वारा श्री किण्डो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-314, दिनांक 26.03.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में बचाव बयान को स्वीकार्य योग्य प्रतिवेदित करते हुए आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित एक भी आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया।

श्री किन्डो के विरुद्ध गठित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री बिरेन्द्र किन्डो, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-455/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बिरेन्द्र किन्डो, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BIRENDRA KINDO JHK/JAS/269	श्री बिरेन्द्र किन्डो, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-455/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
